

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक F 1 - 6 / 2018/38-3

प्रति.

कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

विषय:- मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में लोकपाल के पद पर पदस्थगी के लिए जारी विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने विषयक।

—0—

दिष्यांतर्गत लेख हैं कि मध्यप्रदेश के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में लोकपाल के पद पर पदस्थगी हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय दैनिक समाचार चूर्णों में विज्ञापन जारी करने का अनुरोध संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, बाधगगा चौराहा, भोपाल से किया गया है। विज्ञापन प्रारूप, आवेदन प्रारूप एवं विश्वविद्यालयों की सूची लो आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि अधिकतम लोग लाभान्वित होते हुए आवेदन कर सकें।

संलग्न:-

1. विज्ञापन प्रारूप
2. आवेदन प्रारूप
3. विश्वविद्यालयों की सूची।

28/04/18  
(वीरन सिंह भलावी)

अदर राधिय,  
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

टू0 क्रमांक F 1 - 6 / 2018/38-3

प्रतिलिपि:-

✓ प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भोपाल, दिनांक 28/04/2018

अदर राधिय,  
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

28/04/18  
~~अदर राधिय~~

उच्च शिक्षा विभाग,  
मध्यप्रदेश शासन  
मंत्रालय (वल्लभ भवन)  
तृतीय मंजिल कक्ष- 303 'ए'  
भोपाल

### दिज्ञापन प्रारूप

(म.प्र. के विश्वविद्यालयों में लोकपाल (Ombudsman) के पद पर पदस्थगी के लिये)

विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम 2012 दिश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3 : 1956) तहत म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित समस्त पारदर्शक विश्वविद्यालयों, शेष उच्च-पृथक अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों एवं म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संवालन) अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों में छात्रों के शिक्षायतों के निवारण के लिये लोकपाल (Ombudsman) के बद हेतु आवेदन पत्र अनंतित दिये जाते हैं।

पात्रता एवं अनुभव – लोकपाल वह अनिवार्य होगा जो एक न्यायाधीश रखे हो, जो जिला न्यायाधीश से निचले पद का न हो अथवा एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हो जिसके पास एक प्रोफेसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव हो।

कार्यकाल – लोकपाल (Ombudsman) एक अहमालीक अधिकारी होगा जिसे दोन वर्ष के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से कभी भी संबालने की तिथि से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जायेगा तथा उसी विश्वविद्यालय में उसे एक ओर सब के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है।

शुल्क – लोकपाल को यात्रा व्यय पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन सुनवाई के लिये ऊपरी 3000/- ला शुल्क देय होगा, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

आवेदक द्वारा आवेदन एवं मान्त्र रजिस्टर/स्पीड मोर्ट से पता – “अपर मुख्य सचिव ग.प्र. शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय, भूल कक्ष क-56 ए भोपाल-462004 पर प्रेषित की जा सकेगी। आवेदन जना करने की तिथि 26.05.2018 तक है। ऑटोम तिथि पास्काल पास एवं अपावृत/अपूर्ण/कुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

## आवेदन प्रारूप

**लोकपाल (Ombudsman) के पद पर पदस्थानी हेतु आवेदन पत्र**

अध्यतन फोटो  
हस्ताक्षरयुक्त

**विश्वविद्यालय का नाम—**  
(जिसमें लोकपाल के रूप में गदस्थ होना चाहते हैं  
मात्र एक विश्वविद्यालय का नाम लिखें)

आवेदक का नाम	
पिता/पति का नाम	
जन्म स्थिति	
शैक्षणिक योग्यता	
दर्तमान पता	
स्थाई पता	
दूरभाष/मोबाइल	
पद पर सेवानिवृत्ति दिनांक	
निवर्तमान पद का नाम	
निवर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक	
घेतनमान जिसमें कार्यरत रहे हों	

### घोषणा पत्र

मेरे ————— पिता/पति ————— रात्रि द्वारा  
घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं पूर्णतया सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर रामस्त जिम्मेदारी में सत्य की होगी। अपूर्ण एवं असत्य जानकारी पाये जाने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया निर्णय नुड़े मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप—

आवेदन पत्र के साथ बायोडेटा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।

विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	क्र.	विश्वविद्यालय की सूची
1	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, आजाल	15	श्री गोपाल विश्वविद्यालय, इटापा
2	नहारानी विश्वविद्यालय, बुज़ुर्ग	16	मौजूदास विश्वविद्यालय, गढ़, इटापा
3	पितृगण विश्वविद्यालय, जल्लाहनी	17	पीपुल विश्वविद्यालय, बुज़ुर्ग
4	ऐसो उल्लामा विश्वविद्यालय, इटापा	18	माराटा विश्वविद्यालय, मारसोर
5	राणी तुगांवडे विश्वविद्यालय, जल्लाहनी	19	रुद्रिंग प्रद्वाल कलाम विश्वविद्यालय, इटापा
6	जीवाजी विश्वविद्यालय, बांसोपर	20	मालवाल कलाम विश्वविद्यालय, इटापा
7	अवधार प्रताप देव विश्वविद्यालय, कोडा	21	केशव विश्वविद्यालय, भिरवाडी
8	हौ खाल साहेब अवधार विश्वविद्यालय, नवीन	22	कैशी विश्वविद्यालय, इटापा
9	चंप गोपाल (जाती) विश्वविद्यालय, बांसोपर	23	लिलाल मस सोशल विश्वविद्यालय, हथोड, इटापा
10	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, नापाल	24	आगोदार विश्वविद्यालय, उज्जैन
11	महाराजा गांधी विश्वविद्यालय, नापाल	25	देखेंद्र योगेन्द्र विश्वविद्यालय, चीहोर
12	महेश विष्णुनि साक्षत राज नापाल विश्वविद्यालय, उज्जैन	26	रित्यन विश्वविद्यालय, इटापा
13	पांडित रमेश बुज़ुर्ग विश्वविद्यालय, जल्लाहनी	27	लज्जा विश्वविद्यालय, इटापा
1	जेरी विश्वविद्यालय, रामगढ़, इटापा	28	नाना नाना योगी विश्वविद्यालय, नाना
2	मधुज्ञ विश्वविद्यालय, आनंद, बांसोपर		
3	आदर्दीप विश्वविद्यालय, बांसोपर		
4	उत्तो विश्वविद्यालय, अहमदनगर, नना, चांगोली		
5	आई संज विश्वविद्यालय, भाजपुर, रायसेन		
6	आलक्षण्य विश्वविद्यालय, नाना, नापाल		
7	एलारस विश्वविद्यालय, बिजुपुर, नापाल, रातनी		
8	स्वामी विदेशनाथ विश्वविद्यालय, विरोज, रामगढ़		
9	ओमेन्द्र विश्वविद्यालय, बांसोपर		
10	टेको गोवत विश्वविद्यालय, बिहोर, बिहारी		
11	जगद्गत लक्ष्मी विश्वविद्यालय, एम.पी. चार, बोधपुर		
12	श्री चतुर्मुख विश्वविद्यालय, असामीनी धापड नेमा, सिङ्गोर		
13	सापल्ली शान्ताज्ञन विश्वविद्यालय, नापाल		
14	रत्नपत्तोपे विश्वविद्यालय, नापाल		